



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245603
CG-DL-E-02052023-245603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1922]

No. 1922]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2010(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5825, दिनांक 13.12.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH59A के कि.मी. 127 से कि.मी. 142.445 (सब डिवीजनल आफिसर (रा.), हरदा, जिला-हरदा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21.12.2022 एवं 20.12.2022 " को "दैनिक भास्कर " और "फ्रीप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH59A के कि.मी. 127 से कि.मी.142.445 (सब डिवीजनल आफिसर (रा.), हरदा, जिला-हरदा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: हरदा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हंडिया				
	गांव का नाम: अबगांवकलां				
1	202/2/1	निजी	सिंचित	0.132	रामजीवन पिता रामेश्वर, किरण पुत्री रामेश्वर, सुगनाबाई पत्नि रामेश्वर, गंभीर पिता रामेश्वर (202/2/1)
2	202/4/1	निजी	सिंचित	0.0245	रेवाराम पिता बाबूलाल (202/4/1)
3	202/5/1	निजी	सिंचित	0.013	ओमप्रकाश पिता बाबूलाल (202/5/1)
4	202/6	निजी	असिंचित	0.042	संतोष पिता बाबूलाल (202/6)
5	202/7/1	निजी	सिंचित	0.015	भागीरथ पिता बाबूलाल (202/7/1)
6	205/1/1	निजी	सिंचित	0.041	किरण पत्नि संतोष, सुनीता पत्नी विजय, धैर्यवर्धन ना. पुत्र विजय संरक्षक, सुनीताबाई (205/1/1)
7	207/1	निजी	सिंचित	0.06	चन्द्रशेखर पिता रामदास (207/1)
8	207/3	निजी	सिंचित	0.16	अनिल पिता मदनलाल (207/3)
9	226/10, 232/2, 226/9	निजी	सिंचित	0.068	श्यामलाल पिता हरनाथ (226/10, 232/2, 226/9)
10	234/3/1	निजी	सिंचित	0.05	शिवम पिता सुभाषचंद्र, वैभव पिता सुभाषचंद्र (234/3/1)

11	237/1	सरकारी	रास्ता	0.005	म.प्र.शासन (237/1)
12	239/4/1	निजी	सिंचित	0.034	रामफूल पिता शिवजी (239/4/1)
13	239/5/2	निजी	सिंचित	0.066	संदीप पिता रामफूल (239/5/2)
14	239/7/1	निजी	परिवर्तित	0.031	रामफूल पिता शिवजी (239/7/1)
15	240	सरकारी	चारागाह	0.023	म.प्र.शासन (240)
गांव का नाम: हंडिया					
16	201/6	निजी	सिंचित	0.186	मनीष पिता कमलकिशोर (201/6)
17	208/4/1/1	निजी	सिंचित	0.198	शंकुतला बेवा गोविंदप्रसाद, मुकेश पिता गोविंदप्रसाद, ओमप्रकाश पिता गोविंदप्रसाद (208/4/1/1)
18	209/3/3	निजी	सिंचित	0.072	कलाबाई पत्नी कैलाशचंद (209/3/3)
19	227	सरकारी	रास्ता	0.094	मध्य प्रदेश शासन (227)
गांव का नाम: कुंजरगांव					
20	96/6/1	निजी	सिंचित	0.052	रेखा पटेल पत्नी कमल पटेल (96/6/1)
			कुल	1.3665	

[फा. सं. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2010(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 5825, date 13.12.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH59A on the stretch of land from Km 127 to Km 142.445 (Sub Divisional Officer (R), Harda, District-Harda) in the district of HARDA in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Press” both dated 21.12.2022 & 20.12.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH59A in the stretch of land from Km 127 to Km 142.445 (Sub Divisional Officer (R), Harda, District-Harda) in the district of HARDA in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: HARDA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Handiya				
	Village: Abgaon Kalan				
1	202/2/1	Private	Irrigated	0.132	Ramjeevan S/O rameshwar, kiran D/O Rameshwar, suganabai W/O rameshwar, Gambheer S/O rameshwar 202/2/1
2	202/4/1	Private	Irrigated	0.0245	Rewaram S/O Babulal 202/4/1
3	202/5/1	Private	Irrigated	0.013	Omprakash S/O Babulal 202/5/1
4	202/6	Private	Unirrigated	0.042	Santosh S/O Babulal 202/6
5	202/7/1	Private	Irrigated	0.015	Bhagirath S/O Babulal 202/7/1
6	205/1/1	Private	Irrigated	0.041	Kiran W/o santosh, Sunita W/o Vijay, Dheryvardhan naa S/O Vijay Sanrakchak sunitabai 205/1/1
7	207/1	Private	Irrigated	0.06	Chandrasekhar S/O rAMDAS 207/1
8	207/3	Private	Irrigated	0.16	Anil S/o Madanlal 207/3
9	226/10, 232/2, 226/9	Private	Irrigated	0.068	Syamlal S/o hathnath 226/10, 232/2, 226/9
10	234/3/1	Private	Irrigated	0.05	shivam S/O Shubhashchandra, Vaibhav S/O shubhashchandra 234/3/1
11	237/1	Government	Rasta	0.005	M.P. Govrnment 237/1
12	239/4/1	Private	Irrigated	0.034	Ramful S/O shivji 239/4/1

13	239/5/2	Private	Irrigated	0.066	Sandeep S/O Ramful 239/5/2
14	239/7/1	Private	Diverted	0.031	Ramfil S/O Shivji 239/7/1
15	240	Government	Chaaragah	0.023	M.P. Govrnment 240
	Village: Handia				
16	201/6	Private	Irrigated	0.186	Manish S/o Kamalkishor 201/6
17	208/4/1/1	Private	Irrigated	0.198	Shakuntala W/o Govind Prasad, Mukesh S/o Govind Prasad, Omprakash S/o Govind Prasad 208/4/1/1
18	209/3/3	Private	Irrigated	0.072	Kalabai W/o Kailashchand 209/3/3
19	227	Government	Rasta	0.094	M. P. Government 227
	Village: Kunjargaon				
20	96/6/1	Private	Irrigated	0.052	Rekha patel W/o Kamal patel 96/6/1
			TOTAL	1.3665	

[F. No. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.